

प्रेस नोट

थाना बबीना, झाँसी

दिनांक 29.01.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.01.2026 को थाना बबीना पुलिस द्वारा मुख्यबिर की सूचना पर अभियुक्त— अरुण यादव पुत्र स्व0 लखन सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी- ग्राम टपरियन, कस्बा व थाना- बबीना, जनपद- झाँसी के कब्जे से एक प्लारिटक की बोरी में 25 ब्लू फ्लैग ब्रॉड के लाल- नीले रंग के हार्ड कागज के बने पाउच के कवार्टर में करीब 05 ली0 अवैध शराब बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बबीना पर मु0अ0सं0- 027/2026 धारा - 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

नाम व पता अभियुक्त – अरुण यादव पुत्र स्व0 लखन सिंह निवासी ग्राम टपरियन कस्बा व थाना बबीना जनपद झाँसी उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी- 05 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान-

पीएनबी चौराहा के पास त्रिलोकी नाथ मन्दिर के सामने स्थित देशी शराब के ठेके के पास कस्बा व थाना बबीना जनपद- झाँसी

कार्यवाही करने वाली टीम के अधिकारी/कर्म गण का नाम-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार पाण्डेय थाना बबीना, झाँसी।
2. हे0का0 286 आशीष कुमार थाना बबीना, झाँसी।
3. का0 776 शिवजीत सिंह थाना बबीना, झाँसी।